संख्या-9/2024/बी-2- 87/दस-2024-एम-61/2019

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनाँक 05 मार्च, 2024

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों को अन्तरण हेतु व्यवस्थित धनराशि की स्वीकृति में संशोधन।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-7/2024/बी-2-73/दस-2024-एम-61/2019, दिनाँक 23 फरवरी, 2024 द्वारा राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों को अन्तरण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-61 के लेखाशीर्ष "2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों को अन्तरण-42-अन्य व्यय" में प्रावधानित धनराशि रूपया 140.00 करोड़ (रूपया एक सौ चालीस करोड़ मात्र) को कतिपय शर्तों के अधीन नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने की तथा उसे व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- उक्त शासनादेश दिनाँक 23 फरवरी, 2024 में अन्य शर्तों के साथ शर्त संख्या-1 निम्नवत् थी:-

"उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि इस धनराशि से यू0पी0पी0सी0एल0 की लम्बित विद्युत देयताओं का भुगतान किया जायेगा।"

उक्त के सम्बन्ध में निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनाँक 28 फरवरी, 2024 के क्रम में प्रशासकीय विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि निदेशक द्वारा यू0पी0पी0सी0एल0 की लम्बित समस्त देयताओं का भुगतान किया जा चुका है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपरोक्त सम्बन्ध में निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-436/नौ-9/2024, दिनाँक 28 फरवरी, 2024 के क्रम में प्रशासकीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल द्वारा उपरोक्त अंकित शासनादेश दिनाँक 23 फरवरी, 2024 में निर्धारित व्यवस्थाओं से सम्बन्धित शर्त संख्या-1 को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

"निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत धनराशि नगर निकायों को अन्तरित की जायेगी।"

4- उपरोक्त अंकित शासनादेश दिनाँक 23 फरवरी, 2024 केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उसकी शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या-9/2024/बी-2-87 (1)/दस-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।
6. नगर विकास अनुभाग-9
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
8. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।